न्यायालय, लोकपाल, मनरेगा, शेखपुरा

समाहरणालय परिसर, शेखपुरा, बिहार

पंचाट / अधिनिर्णय

परिवाद संख्या–14 / 2018–19

परिवादी का नाम :– श्री अवधेश मोची ग्राम– वरसा पंचायत– चोरवर प्रखण्ड अरियरी, जिला– शेखपुरा।

आरोपित पक्ष :– निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा एवं मनरेगा सहायक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा।

षिकायत का विवरणी :–

प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत संख्या– RES PG/P/2018/00062 दिनांक 08.अगस्त .2018 के आलोक में शिकायत कर्त्ता द्वारा शिकायत किया गया है कि निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा और मनरेगा सहायक द्वारा पैसा की वसूली की गई। आरोपी की जाँच में कहा है कि S Q M द्वारा भी एक पक्षीय रिपोर्ट किया जा रहा है और पैसा की वसूली की जा रही है। शिकायत कर्त्ता निगरानी एजेन्सी से जाँच चाहता है।

आरोपो की जाँच :–

लोकपाल कार्यालय में पत्र प्राप्ति के उपरांत वाद संख्या 14/2018–19 में दर्ज किया गया। गौरतलब है कि तत्कालीन लोकपाल कार्यालय सहायक द्वारा लोकपाल कार्यालय के पत्रों का संधारण किया जाता रहा है। परन्तु जब लोकपाल संचिका में बढाने हेतु पढकर आगे बढ़ाता है तब सहायक संधारण करते हुए आगे की कार्यवाही जारी करता है। फिर सहायक द्वारा सारी प्रक्रिया की जाती है। लोकपाल जाँच के दौरान सम्बंधित कार्यवाही करते हुए जानकारी की मांग हेतु आवेदन तत्कालीन निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जिला बॉका बिहार को भेजा गया। जाँच को अतिशिघ्र निपटारण हेतु बॉका श्री कुमार सिद्धार्थ के पास दिनांक 26.06.2019 पत्रांक 40/ लो०पा० / 2019–20, दिनांक 10.07.2019, पत्रांक 50/लो०पा०/2019–20 एवं पत्रांक 60/ लो०पा०/2019–20 दिनांक 02.08.2019 को सम्बंधित अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बॉका को भेजा गया चुकि तत्कालीन निदेशक, प्रभारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा में कार्यरत थे। परन्तु शिकायत को भेजने और तथ्य को जानने हेतु जानकारी मांगी गई पर लोकपाल को जाँच में सहयोग नहीं किया गया।

लोकपाल द्वारा निम्न बिन्दुओं का जाँच किया जाना था।

1. श्री कुमार सिद्धार्थ के द्वारा योजनाओं की जाँच में क्या–क्या किया गया।

(क) लोकपाल स्वयं मनरेगा योजना में जाँच के दौरान पाया कि J.C.B से कार्य करवाया जा रहा है और भारी मात्रा में कागजों पर योजना जारी है। धरातल पर वोर्ड तक नहीं लगा इसके लिए लोकपाल कार्यालय से विडियों क्लिप हार्ड डिस्क C.Dमें तत्कालीन जिला पदाधिकारी शेखपुरा को सौपा जिसमे साक्ष्य है। पत्रांक –51/लो०पा०/2018–19 दिनांक19.05.2018 से दिया गया। इस बिन्दु के जाँच में निदेशक, द्वारा एवं तत्कालीन उप विकास आयुक्त, शेखपुरा श्री निरंजन कुमार झा के द्वारा काफी विलम्ब क्यों किया गया ? जबकी इनके द्वारा तुरंत जाँच नही किया गया। गौरतलब है कि मनरेगा योजना लगभग 90 दिनों में खत्म किया जाता है और उप विकास आयुक्त एवं निदेशक जाँच को लोकपाल के जाँच के बाद फाईलों में उलझा कर लगभग 60 दिनों के बाद शुरू किया गया। जो गम्भीर विषय है। इसका अर्थात यह है कि सम्बंधित पंचायत रोजगार सेवक को अपने साक्ष्य मिटाने का भरपूर मौका दिया गया।

(ख) मनरेगा योजना की जाँच लोकपाल कार्यालय से की जा रही है जिसके संदर्भ में सम्बंधित पंचायत में संधारित फाईल को कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, अरियरी द्वारा मांगा गया और इसके उपरांत 52 योजनाओं की संचिका लोकपाल कार्यालय में लाया गया। जिसे पाने के उपरांत अपने कार्य क्षेत्र (Custodian) में ले लिया गया। लोकपाल कार्यालय से संचिका वापस मंगवाने में श्री कुमार सिद्धार्थ निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। जिससे साक्ष्यों को छेड़–छाड़ कर सुधारा जा सके। गौरतलब है कि अगर जिला पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा जाँच दिया गया तब उनके द्वारा कुछ या सभी योजनाओं की संचिका मांग कर ले जाना था और फिर पुनः संचिका लोकपाल कार्यालय में वापस आना था। संचिका में छेड़–छाड़ करने हेतु मनरेगा, पंचायत रोजगार सेवक एवं सम्बंधित मनरेगा कर्मचारी/पदाधिकारी को साक्ष्य मिटाने में सहयोग किया गया और फिर वर्ष 2019 तक संचिका लोकपाल कार्यालय में वापस नहीं दिया गया। मनरेगा कर्मियों के द्वारा निदेशक के द्वारा जाँच के नाम से संचिका मांगी गई। लोकपाल संचिका देने में आना–कानी किया। तब निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा का फोन लोकपाल के पास आया। पत्रों में जिक्र होने के बाद संचिका लोकपाल कार्यालय सहायक को मजबूरी में देना पड़ा।

शेष अगले पेज पर

Scanned by CamScanner

2. निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा द्वारा पंचायत रोजगार सेविका श्रीमति सोनी कुमारी द्वारा झूठा वेहोशी का लोकपाल कार्यालय के दरवाजे पर नाटकीय ढंग से ड्रामा किया गया और इससे सम्बंधित जाँच श्री कुमार सिद्धार्थ से किया गया तब इनके जाँच बिन्दु पर यह पहलु कभी नहीं आया कि जब मनरेगा योजना कि संचिका कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा प्रखण्ड अरियरी से मांग की गई। तब किन परिस्थितियों में पंचायत रोजगार सेविका को उपस्थित कर नाटकीय ड्रामा किया गया। पत्राचार लोकपाल और कार्यक्रम पदाधिकारी में किया जा रहा था/है। तब पंचायत रोजगार सेविका की भूमिका पर कैसे लाया गया। लोकपाल के निष्पक्षता जाँच में जितना साक्ष्य मिटाया जा सकता है या जितना जाँच को पेचिदा बनाया जा सकता है सभी में भूमिका श्री कुमार सिद्धार्थ द्वारा किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के जाँच में स्थल पर जाने के उपरांत पैसे की मांग की गई अथवा नहीं की गई इसकी जाँच अभी लोकपाल स्तर से किया जाना बाकी है। उपरोक्त शिकायत जाँच में मनरेगा सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा की भूमिका को आवेदन कर्त्ता के द्वारा शिकायत में दर्शाया गया है। परन्तु जाँच में तत्कालीन निदेशक श्री कुमार सिद्धार्थ द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है तब सहायक, मनरेगा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा का सहयोग लिया जाना उचित नहीं समझता है।

पंचाट/ अधिनिर्णय :-

लोकपाल समझता है कि लोकपाल कार्यालय में लाए गए संचिका में दिए गए साक्ष्य को छेड़-छाड़ के लिए संचिका वापस पंचायत रोजगार सेविका एवं सम्बंधित क्रियान्वयन ऐजेन्सी मनरेगा को वापस दिलाने में मद्द किया गया है। इनके द्वारा लोकपाल के सौपे गए Hard Disk Copy CD को नजद अंदाज किया गयाा है और निदेशक,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण शेखपुरा के द्वारा संधारित जाँच को सुधारने एवं इससे संबंधित जाँच को सुधारने एवं इससे संबंधित फाईलो को लम्बे समय तक मौका देना यह इस तथ्य को संदेहात्मक करता है। अतएव मनरेगा योजना के जाँच एवं लोकपाल के पत्रों के जवाब नहीं देना मौन स्वीकृति का घोत्तक है। अतएवं लोकपाल मानता है कि इस प्रकरण की जाँच अभी की जानी है। लोकपाल पुर्व में भी मनरेगा योजना से संबंधित मामले की निगरानी में भेजने की अनुशंसा किया है। अतः लोकपाल जाँच अधूरा रहने के प्रक्रिया में सम्बंधित जाँच को पंचाट/ अधिनर्णय प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर जिला प्रशासन को निर्देशित करता है कि निगरानी को भेज दिया जाय। चुँकि यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय शिकायत प्रकोष्ट से संबंधित है तब इसमें अतिशिघ्रता किया जाय। विलम्ब होने की स्थिति में पदाधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेवार माना जाएगा।

मनरेगा सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण शेखपुरा की भूमिका जाँच के बिना सम्भव नहीं है औार जाँच के अधिकारी द्वारा सहयोग नहीं किया गया। और लम्बे समय तक मनरेगा योजना किसी सहायक/तकनीकी सहायक से करवाया जाना संदेहात्मक है अपितु लोकपाल, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को निदेशित करता है कि मनरेगा योजना की गतिविधियों सहायक/तकनीकी सहायक को सहभागिता को प्रत्येक वर्ष बदला जाय एवं तत्काल देख रहे सहायक पर भी मनरेगा योजना बदलकर अन्य सहायक को दिया जाय।

अतः उपरोक्त निर्देश के साथ पंचाट/ अधिनिर्णय समाप्त किया जाता है। वाद निष्पादित।

वाद निष्पादित :-30.08.2019

संलग्न- यथोक्त
(हस्तलिखित पंचाट के साथ साक्ष्य संलग्न)
(पंचाट/अधिनिर्णय में विवाद होने कि दशा पर कम्प्यूटर प्रति मान्य होगा।

(ई० पंकज सिंहा)
लोकपाल,मनरेगा
शेखपुरा

ज्ञापांक-78/लो०पा०/2019-20/- दिनांक- 30.08.2019

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि :- शिकायत संख्या RESPG/P/2018/00062 दिनांक 08.08.2018 के आलोक में प्रधानमंत्री कार्यालय जनशिकायत प्रकोष्ठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी-सह-कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, शेखपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- शिकायत कर्त्ता को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि पंचाट की प्रति अपलोड कराये।

(ई० पंकज सिंहा)
लोकपाल,मनरेगा
शेखपुरा।

Scanned by CamScanner